9.8.19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष से प्रत्यर्थी अपीलांट/ प्रत्यर्थी सं०2 को सुना गया।

हिम्मताराम

प्रत्यर्थी 4 (लखाराम)

प्रत्यर्थी सं०2 अपील के तहत प्रस्तुत आपत्तियों एवं प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय। डिक्री का परीक्षण किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने वाद मे दि. 16/5/16 को प्रारंभिक डिक्री जारी की और तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया गया कि " वादग्रस्त अराजी भूमि खेत ख नं० 35, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 611, 459, 460, 363, 364, 366, 367 व 368 स्थित मौजा गुड़ा व नाल की भूमि का बाई मीरास एवं बाउण्ड बंटवारा पेश करें।"

अपीलाधीन निर्णय के अधीन प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव (मौका रिपोर्ट दि. 9.6.17) दिनांक 23-2-18 के अवलोकन से साबित होता है कि वह तहसीलदार सिवाना स्वयं द्वारा मुताबिक आदेश मौके पर जाकर नियमानुसार 'बाई मीरास एवं बाउण्ड सिद्धांत पर तैयार नहीं किया गया है। तहसीलदार सिवाना के इस विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति-हस्ताक्षर हैं।

वादग्रस्त भूमि दो पृथक-2 ग्रामों गुड़ा व नाल में स्थित है। नियमानुसार बाई मीरास एवं बाउण्ड जोत विभाजन करते वक्त दोनो ग्रामों में पृथक-2 खातेदारों के हक-हिस्से मुताबिक भूमि दी जानी आवश्यक थी, जब तक कि वे आपस में रजामंद होकर बनाए गए विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। इस नियम की पालना नहीं होना पाया है।

अपीलांट पक्ष को ग्राम गुड़ा के खेतों में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इस बाबत उनकी दलील वाजिब एवं मानने योग्य है। उन्हें ग्राम गुड़ा में भी उनके हक-हिस्से मुताबिक ख.नं० 459 व 460 में भी भूमि दी जानी चाहिए। इस दृष्टि से विभाजन प्रस्ताव एवं अपीलाधीन निर्णय डिक्री की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी P.J.O

अपीलांट
(1) [illegible]
(2) [illegible]

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.8.19	उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय 26.2.18 एवं डिक्री दिनांक 27-2-18, जो ACM (SDO) सिवाना द्वारा वाद सं० 195/2010 बउनवान दीपाराम वगैरह बनाम नेनाराम वगैरह में पारित किए, को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रत्येक ग्राम में पक्षकारों के मध्य भूमि का स्पष्टत: निर्धारण कर प्रारंभिक डिक्री में खुलासा करें एवं तहसीलदार सिवाना स्वयं से नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स मौके पर तैयार कर प्रस्तुत होने पर अंतिम निर्णय/डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26/8/19 को उपस्थित होवे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 9/8/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner